न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, डॉ0 राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस.

निर्णय दिनांकः—20-11-17

1. **अपील संख्या 28/17**

1. मोहनराम पुत्र भगवानाराम जाति सुथार निवासी रेल्वे स्टेशन के पास, गाढवाला तहसील व जिला बीकानेर।
2. भंवरलाल पुत्र शंकरलाल जाति सुथार निवासी रेल्वे स्टेशन के पास, गाढवाला तहसील व जिला बीकानेर।
3. श्रीराम पुत्र शंकरलाल सुथार निवासी रेल्वे स्टेशन के पास, गाढवाला तहसील व जिला बीकानेर।

अपीलांट्स

—बनाम—

1. बृजेशचन्द्र पुत्र पन्नाराम जाति सुथार निवासी पुराना कुऑ के पास, गाढवाला तहसील व जिला बीकानेर।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, बीकानेर।

रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्व अंतिम डिकी दिनांक 09—01—20147
सहायक कलेक्टर(फास्ट ट्रेक), बीकानेर।

2. **अपील संख्या 52/17**

1. किशनाराम पिसर मुतबन्ना बखताराम जाति सुथार निवासी गाढवाला तहसील व जिला बीकानेर।

अपीलांट्

—बनाम—

1. बृजेशचन्द्र पुत्र पन्नाराम जाति सुथार निवासी पुराना कुऑ के पास, गाढवाला तहसील व जिला बीकानेर।
2. मोहनराम पुत्र भगवानाराम जाति सुथार निवासी गाढवाला तहसील व जिला बीकानेर।
2. भंवरलाल पुत्रगण शंकरलाल जाति सुथार निवासी गाढवाला तहसील
3. श्रीराम व जिला बीकानेर।

रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्व निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 22—01—2013 सहायक कलेक्ट(प्रशिक्षण) बीकानेर

उपस्थितिः—

1. श्री दौलत सिंह तंवर, अभिभाषक अपीलांट(अपील संख्या 28/17)
2. श्री सत्य नारायण तिवाड़ी, अभिभाषक अपीलांट(अपील संख्या 52/17
3. श्री मेघाराम गोदारा, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट
4. श्री नन्दराम कासॅनिया, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने उपरोक्त दोनों अपीलें सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) बीकानेर के निर्णय व डिक्री प्राथमिक दिनांक 22—01—2013 व अंतिम डिक्री दिनांक 09—01—2017 के विरूद्व पेश की है, जिसके द्वारा विधि विरूद्व जाकर अंतिम डिक्री जारी कर दी गई, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 223 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. दोनों अपीलों में निर्णय किये जाने योग्य वैधानिक प्रश्न समान है इसलिए इन दोनों अपीलों को एक ही कोमन निर्णय से निर्णित किया जा रहा है। इस निर्णय की एक—एक प्रति उपरोक्त दोनों पत्रावलियों पर रखी जावे।

3. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषकगण अपीलांट्स ने बहस करते हुए कथन किया किया वादगत् भूमि ग्राम गाढवाला के खेत खसरा नम्बर 293, 304, 309, 310 एवं 601 जो पुराने खसरा नम्बर 168 एवं 299 से बने है। अपीलांट व रेस्पोडेन्ट के मध्य पुराने खसरा नम्बर 47 के बाबत् घोषणात्मक व खाता बंटवारा का दावा वर्ष 1992 से जैरकार है। दौराने दावा धारा 212 के तहत पारित आदेश के विरूद्व पक्षकारों के मध्य माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर में मामला लम्बित है। इसी

प्रकार दीवानी अदालतों में भी पक्षकारों की अन्य सम्पतियों के साथ कृषि भूमि की बाबत् वाद जैरकार था। जिसमें पारित निर्णय व डिक्री के विरूद्व माननीय उच्च न्यायालय में भी प्रकरण चला व उसका निर्णय भी हो चुका है। इन सारे तथ्यों को छिपाकर वादी/रेस्पोडेन्ट बृजेशचन्द्र ने मोहनाराम, मु. रेवन्ती, भंवरलाल, श्रीराम के खिलाफ खसरा नम्बर 293, 307, 309, 310 एवं 601 का बंटवारे का दावा दिनांक 06—01—2011 को प्रस्तुत किया। जिसमें मु. रेवन्ती फौत हो चुकी है। उसका नाम कोर्ट के आदेश दिनांक 11—06—2012 को डिलिट किया गया।

उन्होंने आगे बताया कि इस दावे में बृजेशन्द्र ने अपीलांट को जानबूझकर पक्षकार नहीं बनाया तथा नये खसरा नम्बर बाबत् बंटवारे की प्राथमिक डिक्री दिनांक 22—01—2013 को पारित करवा ली गई। वादी बृजेश चन्द्र द्वारा यह सम्पूर्ण कार्यवाही अपीलांट को बिना पक्षकार बनाये एकतरफा तौर पर की है, जिससे अपीलांट के हितो पर बेजा प्रभाव पड़ता है। जबकि पक्षकारो के मध्य पूर्व में ही उक्त आराजी के संबंध में अन्य प्रकरण लम्बित चल रहा था। इन सारे तथ्यों को छिपाते हुए बृजेशचन्द्र ने खाता बंटवारा का यह नया दावा पेश किया है। जिसमें अपीलांट को पक्षकार नहीं बनाया गया। अतः निर्णय व डिक्री जैर अपील अपीलांट को बिना सुने व बिना नोटिस दिये प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत होने से एबइनिश्यिों वाईड व ननेस्ट की श्रेणी का है। अपीलांट को निर्णय व डिक्री जैर अपील की जानकारी सर्वप्रथम दिनांक 20—06—2016 को राजस्व लोक अदालत के ग्राम गाढवाला में हुई, जब अपीलांट अपने वर्ष 1992 में प्रस्तुत किये गये दावे में मिले नोटिस के साथ उपस्थित हुआ। अदालत मातहत द्वारा अपीलाधीन आदेश बिना बयानों, साक्ष्य व अपीलांट की अनुपस्थिति में पारित किया गया है। पक्षकारों के मध्य पूर्व में जो दावा चल रहा है, उक्त दावें में पारित निर्णय दिनांक 27—10—2010 सहायक कलेक्टर, बीकानेर के विरूद्व न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत की गई। जिसमें न्यायालय हाज द्वारा दिनांक 02—08—2011 को निर्णय पारित करते हुए निर्देशित किया गया कि दोनों पक्षों को सुनवाई का अवसर देकर, साक्ष्य लेकर तनकीवार न्यायिक विवचेना कर पुनः निर्णय पारित करें। उक्त निर्णय के विरूद्व निगरानी माननीय राजस्व मण्डल में जैरकार है। इस प्रकार बृजेशचन्द्र द्वारा पहले निर्णय के बाद पुनः दावा कर निर्णय प्राप्त कर लिया गया।

प्रकरण में जबकि वस्तुस्थिति इस प्रकार है कि पक्षकार जो कि एक ही परिवार के सदस्य है के मध्य राजीनामा व पारिवारिक समझौते के अनुसार पारिवारिक बंटवारा हो चुका है। उक्त बंटवारे में वादगत् भूमि भी शामिल है। उक्त राजीनामा माननीय अपर जिला न्यायधीश संख्या 1 बीकानेर द्वारा दिनांक 01—02—2010 को सत्यापित किया गया व राजीनामें के आधार पर डिक्री निष्पादित की गई। उक्त डिक्री के विरूद्व माननीय उच्च न्यायालय में एसबी सिविल रिट संख्या 1020/2011 प्रस्तुत किये जाने पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 17—09—2015 को आदेश पारित करते हुए रिट याचिका को विद् कॉस्ट 5000/— खारिज की गई।

रेस्पोडेन्ट बृजेशचन्द्र द्वारा इन तमाम तथ्यों को छिपाकर अदालत मातहत के समक्ष एक नया दावा प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें अन्य पक्षकारों की अनुपस्थिति में एकतरफा तौर पर दावा डिक्री करवा लिया गया। रेस्पोडेन्ट् को उक्त तथ्य की कोई जानकारी हासिल नहीं थी। जब वादगत् भूमि के विभाजन का वाद डिक्री हो चुका है तो ऐसी स्थिति में पुनः विभाजन का वाद पोषणीय ही नहीं है।

उन्होंने आगे बताया कि संयुक्त खाते की भूमि में सह—हिस्सेदार को अच्छी से अच्छी व बुरी में बुरी भूमि में बराबर हिस्से का विभाजन होना चाहिए। अदालत मातहत द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व सह खातेदारों की भूमि के बंटवारें में इस तथ्यों पर कोई गौर किये बिना एक पक्ष को बेजा फायदा पहुॅचाने की नियम से आदश जैर अपील पारित किया गया है। अदालत मातहत के आदेश दिनांक 22—01—2013 बाबत् प्राथमिक डिक्री के अनुसार वादी के 1/3 हिस्से के संबंध में भूमि व लगान विभाजन प्रस्ताव भिजवाने हेतु तहसीलदार को लिखा गया। तत्पश्चात् दिनांक 23—06—2016 की फर्द अहकाम में तहसीलदार, बीकानेर के प्राथमिक डिक्री की पालना में विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने पर पत्रावली पेशी में ली गई। अदालत मातहत द्वारा तहसीलदार से प्राप्त प्रस्ताव प्राथमिक डिक्री के अनुरूप नहीं पाये जाने पर तहसीलदार को उक्त प्रस्ताव वापिस प्रेषित किये गये व न्यायालय को दिनांक 22—01—13 के अनुरूप प्रस्ताव तैयार कर भिजवाने हेतु निर्दशित किया गया।

अदालत मातहत द्वारा व तहसीलदार, बीकानेर द्वारा उक्त समस्त कार्यवाही एकतरफा तौर पर बिना अपीलांट् को सुनवाई व साक्ष्य का अवसर प्रदान किये पारित किया गया आदेश है, जबकि विधि का यह सिद्वान्त है कि जब पारिवारिक सह खातेदारो के मध्य आराजी का बंटवारा हो तो सभी पक्षकारो की मौजूदगी में प्रस्ताव तैयार किये जाने होते है। अदालत मातहत द्वारा इन तमाम तथ्यों को दरकिनार करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो काबिल खारिज होने से खारिज किया जावे व अपीलांट्स की अपील स्वीकार की जावे।

उन्होंने मियांद के संबंध में कथन किया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर अपीलांटान को बिना सुने पारित किया गया है। क्योकि अपीलांटान पर कोई तामील नहीं हुई है। बाला—बाला तौर पर डिक्री पारित की गई है। अतः एकतरफा आदेश पर मियांद अधिनियम बाधक नहीं है। इसलिए इल्म से पूर्व का समय कण्डोन फरमाया जाकर अपील अंदर मियांद शुमार फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट् द्वारा दोनों अपीलों में कॉमन बहस करते हुए कथन किया कि अपीलांट को अंतिम डिक्री व निर्णय की जानकारी दिनांक 20—06—2016 को हो गई थी। दिनांक 20—06—2016 को खाता विभाजन का प्रस्ताव प्राथमिक डिक्री दिनांक 22—01—2013 की पालना में मंगवाया गया। उक्त खाता विभाजन प्रस्ताव पर अपीलांट संख्या 3 श्रीराम के हस्ताक्षर है। जिन्होंने उपस्थित होकर दिनांक 20—06—2016 को विरोध कर कहा कि प्रत्येक का 1/3 हिस्सा के खाता विभाजन प्रस्ताव की नकल संलग्न है। इस प्रकार खाता विभाजन में अपीलांट श्रीराम के हस्ताक्षर अंकित है। उन्होंने आगे बताया कि अपीलांट द्वारा पूर्व में अंतिम डिक्री की अपील प्रस्तुत की गई है व अंतिम डिक्री की अपील में प्राथमिक डिक्री से व्यथित बताकर प्राथमिक डिक्री को चेलेंज किया गया है। जबकि प्राथमिक डिक्री से व्यथित होने का कथन प्राथमिक डिक्री की अपील द्वारा की किया जा सकता है। अंतिम डिक्री द्वारा चेलेंज नहीं किया जा सकता। अतः अपीलांट की अपील धारा 97 सीपीसी के प्रावधानों के तहत बार्ड बाई लॉ होने से निरस्त योग्य है। अपीलांट की अपील प्राथमिक आपत्ति पर निरस्त की जावे।

अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने आगे कथन किया कि चूंकि खाता विभाजन लोक अदालत में सहमति से हुआ है जिसकी अपील धारा 96(3) सीपीसी में वर्जित है। कानूनी रूप से सहमति के आधार पर पारित डिक्री की अपील का कोई प्रावधान नहीं है। चूंकि वादगत् भूमि मे वादी एवं प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य है तथा पक्षकारों के मध्य बाहमी बंटवारा हिस्से अनुसार हो चुका है। अदालत मातहत द्वारा उक्त बाहमी बंटवारें में हिस्से अनुसार ही कब्जे काश्त के अनुसार खाता विभाजन व लगान विभाजन करने की प्राथमिक डिक्री जारी की गई। उक्त प्राथमिक डिक्री के अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार किये जाकर अदालत मातहत द्वारा अंतिम डिक्री पारित की गई है। उक्त डिक्री से किसी के हितों पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ना है क्योंकि वादगत् भूमि के संबंध में परिवारिक बाहमी बंटवारें के माध्यम से बंटवारा हो चुका है। उक्त बटवारें के तहत सभी का 1/3 —1/3 हिस्सा वादगत् भूमि पर बनता है। अदालत मातहत द्वारा उक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अपीलाधीन आदेश व डिक्री पारित की है जिसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः अपीलांट की प्राथमिक डिक्री व अंतिम डिक्री की अपीलें खारिज की जाकर अपीलाधीन आदेश बहाल रखा जावे।

6. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

7. **(1)** हस्तगत् प्रकरण में विवादित आराजी वादगत् आराजी वाके रोही वाके ग्राम गाढवाला के खसरा नम्बर 293 में 3.54 हैक्टर, खसरा नम्बर 307 में 4.92 हेक्टर, खसरा नम्क्बर 309 में 1.31 हैक्टर, खसरा नम्बर 310 में 3.44 हेक्टर व खसरा नम्बर 609 में 7.37 हेक्टर भूमि है। जिसके विभाजन का दावा अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत होने पर अदालत मातहत द्वारा दिनांक 22—01—2013 को प्राथमिक डिक्री व तहसीलदार से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने पर दिनांक 09—01—2017 को अंतिम डिक्री पारित की गई है।

(2) राजस्थान टीनेन्सी एक्ट (एसआईसी नियम) के नियम 18—21 के अनुसार अंतिम डिक्री तैयार करने हेतु प्रकिया का पालन अनिवार्य

है। एक विभाजन वाद में अंतिम डिक्री राजस्थान अभिवृति(राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18—22 में दी गई प्रक्रिया के अनुसरण करते हुए पारित की जाती है। जिसमें पक्षकारों को नोटिस व सुनवाई आवश्यक है ताकि सभी पक्षकारों के हितों के अनुरूप भूमि में अच्छी से अच्छी व बुरी से बुरी भूमि का सभी पक्षों में समान रूप से विभाजन हो सके। अंतिम डिक्री पारित करते समय वाद प्रश्न, बनाने या पक्षकार का साक्ष्य लेने हेतु अग्रसर होना आवश्यक नहीं है। विभाजन वादों में प्रारम्भिक व अंतिम डिक्री दोनों की अपील की जा सकती है।

(3) प्रश्नगत् मामलें में सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि पक्षकार एक ही परिवार के सदस्य है, व पक्षकारों के मध्य राजीनामा व पारिवारिक समझौते के अनुसार पारिवारिक बंटवारा हो चुका है। व उक्त पारिवारिक बंटवारे में वादगत् भूमि भी शामिल थी। उक्त राजीनामा माननीय अपर जिला न्यायधीश संख्या 1 बीकानेर द्वारा दिनांक 01—02—2010 को सत्यापित किया जाकर उक्त राजीनामें के आधार पर डिक्री निष्पादित की गई। उक्त डिक्री के विरूद्व माननीय उच्च न्यायालय में एसबी सिविल रिट संख्या 1020/2011 प्रस्तुत किये जाने पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 17—09—2015 को आदेश पारित करते हुए रिट याचिका को विद् कॉस्ट 5000/— खारिज की गई। उक्त आदेश में स्पष्ट रूप से अभिलिखित किया गया है किः—

"The sancity of the court prodedures and the consent decree passed by the court of law cannot be allowed to be thrown to the winds by such unscrupulous litigants and it is the duty of the higher courts to condemn and restrict such tendencies of resiling, with the iron hands of justice, as is sought to be done in the present case."

No substantial ground has been established by the appellant-plaintiff before this court for justifiably allowing the plantiff to resile from the compromise deed in question on the basis of which, the decree

has been passed by the learned Trial Court nor any proper procedue was adopted by him before the learned Trial Court under Order 23 Rule 3 Proviso of the Code of Civil Procedure.

(4) प्रस्तुत मामलें में जब पक्षकारों के मध्य आपसी बंटवारा पारिवारिक समझौते के अनुसार हो चुका था, तो ऐसी स्थिति में रेस्पोडेन्ट बृजेशचन्द्र द्वारा उक्त तथ्यों को छिपाकर एक अन्य दावा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। उक्त दावें में एकतरफा तौर पर बिना अपीलांट को नोटिस तामील करवाये, बिना साक्ष्य व सुनवाई का अवसर प्रदान किये प्राथमिक डिक्री के आदेश पारित किये गये। तत्पश्चात् अदालत मातहत द्वारा आदेश दिनांक 22–01–2013 की पालना में वादी के 1/3 हिस्से के संबंध में भूमि व लगान विभाजन प्रस्ताव भिजवाने हेतु तहसीलदार को निर्देशित किये जाने पर पत्रावली दिनांक 23–06–2016 को पेशी में ली जाकर उक्त प्रस्ताव प्राथमिक डिक्री के अनुरूप नहीं पाये जाने पर पुनः आदेश दिनांक 22–01–13 के अनुरूप प्रस्ताव तैयार कर भिजवाने हेतु निर्दशित किया गया। अदालत मातहत द्वारा अपने आदेश दिनांक 23–06–2016 के द्वारा प्रस्ताव पुनः प्रेषित किये जाने का कोई युक्तियुक्त कारण अंकित नहीं किया है। इससे स्पष्ट है कि अदालत मातहत द्वारा मात्र एक पक्षकार को बेजा फायदा पहुँचानें की नियत से प्रस्ताव पुनः प्रेषित किया जाना परिलक्षित होता है। अदालत मातहत द्वारा व तहसीलदार, बीकानेर द्वारा उक्त समस्त कार्यवाही एकतरफा तौर पर बिना अपीलांट् को सुनवाई व साक्ष्य का अवसर प्रदान किये पारित किया गया आदेश है, जबकि विधि का यह सिद्वान्त है कि जब पारिवारिक सह खातेदारो के मध्य आराजी का बंटवारा हो तो सभी पक्षकारो की मौजूदगी में प्रस्ताव तैयार किये जाने होते है। अदालत मातहत द्वारा इन तमाम तथ्यों को दरकिनार करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया है,

विभाजन के वाद में पक्षकारों के बीच असहमति होती है तो न्यायालय का दायित्व है कि वह स्वविवेक से खातेदारों के बीच विभाजन बाई मिट्स एण्ड बाऊण्डस अर्थात अच्छी से अच्छी व बुरी

से बुरी भूमि का समान रूप से यथा सम्भव सहमति से एवं स्वविवेक से पारित करें।

(5) प्रकरण में रेस्पोडेन्ट बृजेशचन्द्र द्वारा मामलें से संबंधित तमाम तथ्यों—

(1) यथा पूर्व में पारिवारिक बंटवारा, जिसमें वादगत् आराजी भी शामिल है,
(2) इन्हीं पक्षकारों के मध्य अन्य दावा लम्बित होना,
(3) पहले निर्णय के बाद पुनः नया दावा कर एकतरफा निर्णय प्राप्त करना
(3) पक्षकारों के मध्य सिविल न्यायालय से समझौता डिक्री जारी होना,
(4) माननीय उच्च न्यायालय, राजस्थान, जोधपुर द्वारा सिविल न्यायालय की डिक्री को यथावत रखे जाना व याचिका का विद् कॉस्ट खारिज किया जाना,

को छिपाकर अपीलाधीन आदेश के माध्यम से डिक्री व विभाजन प्रस्ताव तैयार करवाये जाकर वादगत् भूमि का विभाजन करवा गया है। जो पूरी तरह से न्यायिक प्रकिया का मौखोल उड़ाने जैसा है। इस प्रकार रेस्पोडेन्ट बृजेशचन्द्र द्वारा स्वच्छ हाथों से न्याय प्राप्त किया जान प्रतीत नहीं होता है। इस हेतु यह उचित समझते है कि रेस्पोडेन्ट द्वारा उक्त तथ्यों को छिपाकर अधिनस्थ न्यायालय में वाद करने व अधिनस्थ न्यायालय से अपने पक्ष में डिक्री प्राप्त करने तथा उसके बाद पूर्व न्याय (रेसज्यूडिकेसा) तथा विचाराधीन न्याय (रेससबज्यूडिस) के सिद्वान्तानुसार बाधित होने पर भी न्याय प्रकिया का बेजा लाभ अपने हित में प्राप्त करने का कुत्सित प्रयास किया। जिसके परिणामस्वरूप उक्त अपीलें इस न्यायालय में दायर हुई। इस हेतु रेस्पोडेन्ट पर रूपये 10000/— हर्जे खर्चे के रूप में कोस्ट लगाई जाती है।

8. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट्स की अपीलें स्वीकार की जाकर सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) का अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 22—01—2013 व 09—01—2017 निरस्त किये जाते है।

9. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 20-11-17 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

डिकरी ब सीगे अपील

(ऑ. 41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix 'G' 9)

अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी मुकाम बीकानेर
बइजलास डॉ. राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस.

किसनाराम बनाम बृजेशचन्द्र(52/2016)
मोहनराम बनाम बृजेशचन्द्र(28/2017)

अपील संख्या 52 सन् 2016 व अपील संख्या 28/17
बनाराजगी निर्णय व डिक्री सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक), बीकानेर
मुवर्खे 22.01.2013 व 09.01.2017

यह अपील ब–तारीख 20 माह 11 सन् 2017 रूबरू हमारी ब हाजरी श्री सत्यनारायण तिवाड़ी, श्री दौलत सिंह तंवर मिनजानिब अपीलांट व श्री मेघाराम गोदारा मनजानिब अभिभाषक रेस्पोडेन्ट के लिये पेश होकर हुक्म हुआ कि अपीलांट की अपील स्वीकार की गई एवं सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक), बीकानेर का निर्णय व डिक्री दिनांक 22.01.13 व 09.01.17 निरस्त किया गया। इस हेतु रेस्पोडेन्ट पर रूपये 10000/– हर्जे खर्चे के रूप में कोस्ट लगाई गई।

(खर्चा अपील हाजा का हल्व तफ्सीस जेरे तादादी मुबलिग .....–.....) रूपयें अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का .....–..... अदा करें ।

बशब्द मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख 20 माह 11 सन् 2017 को जारी किया गया।

मुहर

हस्ताक्षर राजस्व अपील प्राधिकारी,
बीकानेर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू.	पै.	रेस्पोडेन्ट	रू.	य पै.
1. स्टाम्प अपील..... 2. स्टाम्प वकालतनामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत् ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालतनामा..... 2. अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील ..... मीजान		